तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/8/19	पत्रावली पेश । वकील वादीगण उप० है/वादी रिपोर्ट 19.8.19 को पेश हो ।	
19/8/19	पत्रावली पेश । वकील वादीगण उप० है । रिपोर्ट पटवारी पेश । शा० का० हो । विद्वान अधिवक्ता वादीगण को सुना गया । दौरान बहस विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा वादपत्र के तथ्यों को दोहराया । बाद बहस पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया गया । वादी द्वारा वादपत्र में अंकित तथ्य, वांछित अनुतोष, प्रति० के जवाब (इकबालिया), पटवारी हल्का की रिपोर्ट, ग्राम पंचायत पीपल्दा के प्रमाण पत्र दि० 9.4.19 एवं प्र०क० में प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात पर सम्यक विचार किया गया । प्र०क० में पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति का राजीनामा प्रस्तुत किया गया है । वादग्रस्त भूमि का पुश्तैनी होना स्वीकृत तथ्य है । प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 वादी की बहिने है, तथा प्रतिवादी नम्बर 3 वादी की माता जी है, वे तीनों अर्थात प्रतिवादी नं० 1 से 3 वादग्रस्त भूमि में से अपना हिस्सा वादी के पक्ष में छोड़ना चाहती है । पश्चात प्रतिवादी नम्बर 1 से 3 का नाम दर्ज करने से प्रतिवादी नम्बर 4 को	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	राजस्व हानि होना नहीं है इस प्रकार प्रतिवादी नम्बर 1 से 3 द्वारा यदि वादी के नाम अपना हिस्सा दर्ज किया जाता है, तो प्रतिवादी नम्बर 4 को रजिस्टर्ड रिलीज डीड [(blood Relation) के अनुसार देय राशि प्राप्त होना आवश्यक है।	
	वादी एवं प्रति० 1 से 3 इस बात पर एकराय है, कि प्रति० नं. 3 के मांगी नाम की कोई पुत्री नहीं है और वादी के भी मांगी नाम के कोई बहिन नहीं है। ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्र अनुसार एवं रिपोर्ट पटवारी अनुसार मांगीलाल के मांगी नाम की कोई पुत्री नहीं है। अतः मांगी पुत्री मांगीलाल नाम की कोई पुत्री मांगीलाल के नहीं होने से वादग्रस्त भूमि पर दर्ज उक्त नाम को हटाया जाना उचित प्रतीत होता है।	
	सीताबाई पत्नी धोली की मृत्यु होने से उक्त मृतका वादी की दादी होने से हटाने का अनुरोध किया गया किन्तु उक्त सीता प० धोली का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने से उक्त अनुरोध अस्वीकार है।	
	19/8/19	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रकरण में प्रतिवादीगण 1 से 3 के द्वारा इकबालिया जवाब प्रस्तुत किया गया व तथा राजीनामा भी पेश किया गया है। अतः वाद वादी अंशतः स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते हैं कि वादग्रस्त भूमि ग्राम ईश्वरपुरा ख.नं. 122, 162, 166, 167, 270 पर से मांगी पुत्री मांगीलाल का नाम हटाया जाता है। तथा ग्राम ईश्वरपुरा ख० नं० 122, 162, 166, 167, 270, 152, 419, 420 पर से प्रतिवादी नम्बर 1 से 3 का नाम वादी के पक्ष में हटाया जाता है। रिलीज डीड के अनुसार तय रकम यदि वादी राजकोष में जमा करवाता है, तो अमल दरामद किया जावें। तदनुसार डिक्री मुरत्तिब हो। नोट:- हालांकि ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र व पटवारी रिपोर्ट अनुसार वादग्रस्त भूमि के पूर्व खातेदार मांगीलाल पुत्र घासी के मांगी नाम की कोई पुत्री नहीं है, किन्तु भविष्य में किसी मांगी को वादग्रस्त भूमि के पूर्व खातेदार की पुत्री होने से वादग्रस्त भूमि में अपना स्वत्व मांगती है, तो वह अपने आपको पुत्री सिद्ध करने पर इस निर्णय से बाधित नहीं होगी। निर्णय आज दि. 19.8.19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया। 19/08/19 (चिमनलाल मीणा) उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	

Scanned by CamScanner